संख्याः 1167 /XX-1/11–103नि./05

प्रेषक,

जे. पी. जोशी
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः– 14 जनू, 2011

विषयः–जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, शासनादेश संख्या–666/XX(1)/103/निर्माण/प्लान/2005–06 दिनांक 17 मार्च 2006, के क्रम में संशोधित शासनादेश संख्याः 358/XX-1/11–103नि./05 दिनांक जून 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रूद्रप्रयाग के विभिन्न स्थलों में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था "गढवाल मण्डल विकास निगम लि." द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन रूपये 410.03 लाख का तकनीकी परीक्षणोपरान्त, औचित्यपूर्ण धनराशि रूपये 391.92 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु सम्पूर्ण अवशेष धनराशि, **रूपये 155.05 लाख (रूपये एक करोड़ पचपन लाख पॉच हजार मात्र)** अवमुक्त कर, व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

3– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

5– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

6– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

8– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

9– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

10– निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री कय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (Uttarakhand Procurement Rules), 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण इकाई से M.O.U निष्पादित किया जाय जिसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

11– निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य में शीघ्रता लायी जाय तथा विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षित नही किया जायेगा।

12– स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत् रखते हुए किया जाय तथा व्यय उन्ही मदों में किया जाय जिस मद के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

13– निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14– उक्त निर्माण कार्यों पर व्यय, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक अनुदान संख्या 10 के लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 211–पुलिस आवास, 03–पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था(चालू कार्य) के मानक मद 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः– 30/PLAN/XXVii(5)/2011 दिनांक 03 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव

क्रमशः–3....